

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)

E-mail – ccf-durg.cg@gov.in, Phone No. 0788-2210160 & Fax- 0788-2210814

क्रमांक/तक.अधि./ 6/20

दुर्ग, दिनांक 17/08/2022

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

(भू-प्रबंध/व.सं.अ.)

छ.ग. अटल नगर, नवा रायपुर

विषय :-

Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for Jio Digital Fiber Private Ltd., Raipur Laying Optical Fiber Cable (OFC) Line in Balod Forest Division Chhattisgarh Sanchar Kranti Yojana (SKY) Area- 2.895 ha. (Reg.No.- FP/CG/OFC/46941/2020)

संदर्भ :-

- 1.छ.ग. शासन वन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर का पत्र क्र./एफ 7-22/2009/10-2 दिनांक 22.06.2018
- 2.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छ.ग. रायपुर का पत्र पृ. क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-766/128 दिनांक 18.01.2021
- 3.व.म.अ. बालोद का पत्र क्र./तक.अधि./1524, 1525 दिनांक 10.08.2022

▲ ▲ ▲

विषयांतर्गत निवेदन है कि, बालोद जिले के बालोद वनमण्डल अंतर्गत 2.895 हे. वनभूमि पर आष्टिकल फायबर लाईन बिछाने हेतु वनभूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत Jio Digital Fiber Private Ltd., Raipur को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के गैर वानिकी उपयोग हेतु संदर्भित पत्र (02) के माध्यम से पंजीयन आंबटन किया गया है।

उक्त परिपालन में आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्ताव चेक लिस्ट 01 से 21 बिन्दुओं की जानकारी सहित वनमण्डलाधिकारी बालोद को प्रेषित किया गया है। प्रकरण में हरियाली का घनत्व 06 उल्लेख है।

वनमण्डलाधिकारी बालोद द्वारा उक्त प्रकरण एवं प्राप्त प्रकरण के परीक्षण उपरांत कड़िकावार जानकारी प्रेषित की गई है, जिसके अनुसार प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमों/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। वनमण्डलाधिकारी बालोद द्वारा उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर प्राप्त प्रस्ताव की ऑनलाईन प्रविष्टि कर प्रकरण पर सहमत होते हुये निर्धारित प्रपत्र-3 सहित वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

वनमण्डलाधिकारी बालोद से प्राप्त विषयांकित प्रस्ताव अनुशंसा सहित मय सहप्रतों एवं भाग-3 मूलतः 03 प्रतियों में आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न सम्प्रेषित है।
संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

पृ.क्रमांक/तक.अधि./ 6/21

प्रतिलिपि:-वनमण्डलाधिकारी बालोद वनमण्डल की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक,

दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)

दुर्ग, दिनांक 17/08/2022

मुख्य वन संरक्षक,

दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)

17/08/22

बी.पी.एस.
मुख्य वन संरक्षक (क्ष.)
दुर्ग वन दुर्ग (छ.ग.)

दिनांक :- 17/8/22

16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिकांरिषों।
.....अपवर्तन हेतु मांग की गई थी- 2.895 हेक्टेयर की अनुसंधान की जाती है।

15. क्या संबंधित वन संरक्षक मांग (ख) में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।
.....“सहमत”

14. स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है। क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रश्नों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।
.....“नहीं”
(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

भाग-3

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, बालोद वनमंडल, बालोद (छ.ग.)

काफ़ागार परिसर, दल्लीराजहरा रोड, बालोद कार्यालय: फोन नं. 07749-223904 ई-मेल: dfobalod@yahoo.com

क्रमांक/तक.अधि./2022 1524

बालोद दिनांक 10/08/2022
मु.व.सं. मु.व.सं.



मुख्य वन संरक्षक
दुर्ग वृत्त दुर्ग

विषय :-

Diversion of forest land for non-forest purpose under forest Conservation Act, 1980 proposed for Jio Digital Fibre Private Ltd. Raipur Laying of optical Fibre Cable (OFC) line in Balod Forest Division under Chhattisgarh Sanchar Kranti Yojna (SKY), Area-2.895 Ha. (Reg. No. FP/CG/OFC/46941/2020 Date 18-01-2021)

संदर्भ:-

1. आपका पत्र क्र/तक.अधि./4020 दिनांक 30.05.2022
2. महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स) जियो डिजिटल फायबर प्राइवेट लिमिटेड रायपुर का पत्र क्र/जिडिफाप्रालि/वनभूमि/व्यपयर्तन/2022 दिनांक 03.03.2022

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि Diversion of forest land for non-forest purpose under forest Conservation Act, 1980 proposed for Jio Digital Fibre Private Ltd. Raipur Laying of optical Fibre Cable (OFC) line in Balod Forest Division under Chhattisgarh Sanchar Kranti Yojna (SKY), Area-2.895 Ha. (Reg. No. FP/CG/OFC/46941/2020 Date 18-01-2021) से संबंधित वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रकरण में पांच बिन्दुओं की आपत्ति लगाई गयी थी, आपत्ति के निराकरण कर पालन प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर भेजी जा रही है। विवरण निम्नानुसार है:-

क्र	विवरण	निराकरण
1	भाग-2 घनत्व 6 उल्लेख है, इसे स्पष्ट करे।	बालोद वनमंडल के परिक्षेत्र डोंडलीलोहारा - डोंडली एवं दल्लीराजहरा अंतर्गत भूमि गत ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु प्रकरण में जिन-जिन कक्ष प्रभावित रहे हैं उस कक्ष के वन शस्य को आधार मानकर 0.6 घनत्व का निर्धारण किया गया है।
2	भाग-2 में वनमंडलाधिकारी के नाम अंकित नहीं है।	प्रकरण में नाम अंकित किया गया है।
3	प्रस्ताव में आरक्षित वन 2.497, संरक्षित वन 0.234, राजस्व वनभूमि 0.164 कुल 2.895 हे० है। जिसका आपके द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन में कहीं उल्लेखित नहीं है।	प्रस्ताव में आरक्षित वन 2.497, संरक्षित वन 0.234, राजस्व वनभूमि 0.164 कुल 2.895 हे० क्षेत्र संलग्न प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है।
4	संलग्न मैप में मूल हस्ताक्षर नहीं है।	प्रस्ताव में मूल प्रति संलग्न है।
5	प्रकरण में सरपंच ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र पेज क्र. 47 से 102 की छायाप्रति संलग्न है। इसमें किसी के द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है।	संबंधित पंचायत द्वारा सत्यापित संलग्न है।

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमों/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साइट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर प्रस्ताव से सहमत होते हुए, प्रपत्र-3 अनुशंसा सहित वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव 4 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:-

1. प्रस्ताव 4 प्रतियों में
2. डी.जी.पी.एस. सर्वे प्रस्ताव में संलग्न (04 प्रतियों में)
3. टाईम लाईन।

वनमंडलाधिकारी
बालोद वनमंडल बालोद

कार्यालय वनमंडल, बालोद (छ.ग.)

काष्ठगार परिसर, दत्तगिराजरा रोड, बालोद कार्यालय, फोन नं. 07749-223904

ई-मेल: dlobalod@yahoo.com

क्रमांक/तक.अधि./2022/1595

महि.

मुख्य वनसंरक्षक
दुर्ग बाल दुर्ग (छ.ग.)

बालोद, दिनांक 08/08/2022
स.व.स. (अ) दुर्ग बाल
...

विषय :-

Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act 1980
Proposed for Jio Digital Fibre Private Ltd. Raipur Laying of Optical Fibre Cable
(OFC) line in Balod Forest Division Chhattisgarh, Sanchar Kranti Yojana (SKY),
Area-2.895 ha. पूर्वीयन क्र. FP/CG/OFC/46941/2020 Date 11-01-2021

संदर्भ:-

1. छ.ग. शासन वन विभाग मंत्रालय मंडलदी भवन नया रायपुर का पत्र क्र./एफ
- 7-22/2009/10-2 दिनांक 22.06.2018
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक अटल नगर नया रायपुर का पत्र क्र./सू-प्रबंध/विशेष
- /एल. एम.-115-766A/128 दिनांक 18.01.2021
- 3.आपका पत्र क्र./तक.अधि./4020 दिनांक 30.05.2022
- 4.आवेदक संस्थान विद्यो डिजिटल फायबर माइवेट लिमिटेड रायपुर छ.ग. का पत्र
- क्र./विडिफाइल/वनसूचि/अपवर्तन/2022 दि. 06.06.2022
- ※ ※ ※ ※ ※

उपरोक्त विषयवार्ता लेख है, कि संदर्भित पत्र क्र. 02 में माध्यम से Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act 1980 for Jio Digital Fibre Private Ltd. Raipur Laying of Optical Fibre Cable (OFC) line in Balod Forest Division Chhattisgarh, Area-2.895 ha. पूर्वीयन क्र. FP/CG/OFC/46941/2020 Date 11-01-2021 द्वारा पूर्वीयन आवदन किया गया है।

वनमंडल के परिक्षेत्र लोहारा/दत्ती/चौपट्टी अंतर्गत प्रभावित कक्ष क्र. क्रमांक: 201, पी. 307, 191, 192, 193, 194, 173, 180, 170, पी. 257, 92, 86, 99, 144, 3, 16, 20, 19, 25, 1, 77, 79, 56, 82, 83, 85, 86, 118, 110, 122, पी. 267, 123, 124, पी. 263, 164, 163, 172, 176, 177, 291 रकबा क्रमांक: 0.050, 0.021, 0.048, 0.019, 0.053, 0.143, 0.034, 0.022, 0.063, 0.035, 0.065, 0.138, 0.125, 0.035, 0.292, 0.060, 0.248, 0.033, 0.052, 0.031, 0.084, 0.036, 0.095, 0.081, 0.08, 0.180, 0.009, 0.063, 0.121, 0.082, 0.062, 0.060, 0.044, 0.035, 0.049, 0.046, 0.005, 0.022, 0.010 आवर्धित वन 2.497 हे० एवं संवर्धित वन 0.234 हे० रकबा 2.731 हे० एवं राजस्व वन सूचि अनुसार नगर क्रमांक: 552, 553, 43/403, 184, 143, 82/1, 68/1, 263/1, 411/1, 348, 74/1, 198/1, 10, 338, 607, 617, 57, 117 रकबा क्रमांक: 0.002, 0.004, 0.007, 0.055, 0.004, 0.019, 0.004, 0.003, 0.005, 0.013, 0.025, 0.007, 0.003, 0.006, 0.001, 0.002, 0.001 रकबा 0.184 हे० कुल रकबा 2.895 हे० क्षेत्र को संदर्भित पत्र क्र. 01 के माध्यम से ROW प्रक्रिया सरलीकरण के तालमय में विद्यो डिजिटल फायबर माइवेट लिमिटेड रायपुर के OFC के अपवर्तन प्रकरणों के प्रसूतीकरण हेतु (पूर्व से निर्धारित 44 दिनों के वकीलिट के स्थान पर) 21 दिनों की नवीन वक लिस्ट के निर्धारण किया गया है।

आवेदक संस्थान विद्यो डिजिटल फायबर माइवेट लिमिटेड रायपुर द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 03 के माध्यम से 21 दिनों में वैचार कर इस कार्यालय को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन वानिकी उपयोग हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। वकीलिट अगुसार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	विवरण	पृष्ठ क्र.
1.	आवेदक विभाग का भोग पत्र- आवेदनकर्ता मरुमधुक (कार्ग. अफयर्स) नियॉ डिजिटल फायवर प्राइरेट लिमिटेड वायपुर (ओपा) से बालीर जिले के बालीर वनप्रखंड अंतर्गत 2895 हे वर्ग भूमि पर हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत फार्म "क" पर कुल रकबा 2.695 हे. भोग किया है, वनप्रखंड अधिकारी द्वारा दिनांक 01/04/2022 द्वारा स्थल निरीक्षण प्रस्ताव प्रपत्र 3 पर अनुशंसा की गई है। फार्म-ए (आवेदक संस्थान) पार्ट 2 (वनप्रखंडाधिकारी) एवं ऑनलाइन टार्वन लॉर्डन की 1-1 प्रति में संलग्न है।	1
2.	परिचय कौशल एवं पूर्व कार्य की पुष्टि हेतु ऑनलाइन एकराबराबर त्रिम को छायाछाति- प्रस्ताव का अनुरोधन परिचय कथाक RP/CG/OFC/46941/2020 आधारित किया गया है। आवेदक संस्थान द्वारा पूर्णतः एवं प्रोसेसिंग शुल्क कुल 35000/- रु. भोग कर दिया गया है। खाली की प्रति संलग्न है।	2 से 10
3.	वन क्षेत्र विवरण- आवेदिन रकबा 2.695 हे० वन क्षेत्र का विवरण संलग्न।	11 से 13
4.	भू वन क्षेत्र विवरण- प्रस्ताव में भू वन क्षेत्र प्रभावित नहीं हो रही है।	14
5.	प्रस्तावित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्व आक ग्राहिका का भूज टोपोशीट 1:50000 स्केल पर- प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्व आक ग्राहिका का मानचित्र संलग्न है।	15 से 16
6.	वन क्षेत्र का इन्डेक्स शीट- वन क्षेत्र का इन्डेक्स शीट तथा एक.एम.आई.एस. द्वारा जारी वन आपरण मानचित्र संलग्न।	17 से 19
7.	प्रपत्र-4 में प्रस्ताव- प्रपत्र-4 में परिवर्तन की लागत 546 लाख रु है। आवेदक संस्थान ने प्रस्ताव की स्वीकृति योग्य भाग है तथा उल्लेख किया है कि प्रस्तावित वन क्षेत्र में मार्ग के बाईले-ऑफ-वे के अंतर्गत आर्थिक फायवर केवल विद्युत से शासीन आधारों के जलाऊ लकड़ी आपूर्ति तथा आर्थिकियों और विद्युत संपदाओं के जीविकोपार्जन में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़गा।	20 से 28
8.	प्रोसेड पर विस्तृत टीप- प्रस्ताव में प्रोसेड पर विस्तृत टीप संलग्न है।	29
9.	संगत वन क्षेत्र उपयोक्ता प्रमाण पत्र- प्रस्ताव में संगत वन क्षेत्र उपयोक्ता प्रमाण पत्र संलग्न है।	30
10.	अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्या/विचारणीय अधिकाधिकारी एवं कर्मचारियों का विवरण एवं उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई- इस परिचयभाषा अंतर्गत किसी भी प्रकार से अधिनियम उल्लंघन नहीं किया गया है।	31
11.	वर्गीकरण अधिकारी का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं स्पष्ट अनुशंसा नाम, पदनाम स्थिति एवं दिनांक साहित्य (प्रपत्र I से IV तक) प्रपत्र III, IV यदि कार्यालय से भरा जावेगा- प्रपत्र-3 वनप्रखंडाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।	32 से 44
12.	ऐतिहासिक प्रमाण पत्र- व्यपत्ति हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में ऐतिहासिक महत्व स्थल नहीं है जिससे संबंधित वनप्रखंडाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।	45
13.	संबंधित ग्राम प्रधान का अपापति प्रमाण पत्र- संबंधित ग्राम प्रधान का अपापति प्रमाण पत्र संलग्न है।	46 से 102
14.	जिले की कुल वन भूमि रकबा हे. सं.- जिले की कुल वन भूमि रकबा 862.920 वर्ग कि.मी. है।	103
15.	प्र.सं.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. सं.- वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत 10 प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि का रकबा 721.873 हे. है।	104
16.	प्र.सं.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में स्वी Category की कुल प्रस्तावित वन भूमि रकबा हे. सं.- जिले में स्वी Category के कोई प्रकरण वन संरक्षण अधिनियम, 1980	105

[illegible]